भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 484
दिनांक 25 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

औषधियों का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

484. श्री कनकमल कटाराः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संबंध में कोई पूर्ण परिभाषित नीति है और औषधियों की कीमत पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाई जा सकती सिवाय तब जब कंपनी स्वयं इस हेतु आवेदन करे या न्यायालय इस संबंध में कोई आदेश जारी करे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने किसी दवा के अधिकतम मूल्य के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की शक्तियों के संबंध में मानदंड निर्धारित किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ) का पैराग्राफ 16 और 18 अनुसूचित दवाइयों के अधिकतम मूल्यों के संशोधन से संबंधित है।

जैसा कि डीपीसीओ के पैरा 16 में दिया गया है, सरकार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों का पुनरीक्षण करती है और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उसे अधिसूचित करती है।

इसके अलावा, जैसा कि डीपीसीओ के पैराग्राफ 18 में प्रावधान है, अधिकतम कीमत का पुनरीक्षण गतिमान वार्षिक कारोबार के मूल्य के आधार पर किया जाएगा-

--2/-

(i) जब और जैसे ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक दवाइयां की राष्ट्रीय सूची पुनरीक्षित होती है या इस आदेश के तहत अधिकतम कीमत नियत करने की तारीख से पांच वर्ष होने पर, जो भी पहले हो;

(ii) जब अनुसूचित सम्मिश्रण के विनिर्माताओं की संख्या, सरकार द्वारा नियत और अधिसूचित अधिकतम मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक कीमत अनुसूचित सम्मिश्रणों के लिए रखते हैं, संदर्भित तारीख को यथा विद्यमान उनकी संख्या के विनिर्माताओं द्वारा पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की कमी की गई हो;

(iii) जब अनुसूचित सम्मिश्रण के विनिर्माताओं की संख्या, जो सरकार द्वारा नियत अधिकतम मूल्य का पच्चीस प्रतिशत से कम या उसके बराबर की कीमत अपने अनुसूचित सम्मिश्रणों के लिए रखते हैं, संदर्भित तारीख को यथा विद्यमान उनकी संख्या के विनिर्माताओं द्वारा पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि की गई हो।

स्पष्टीकरण- मद (ii) और मद (iii) के प्रयोजन के लिए, "संदर्भित तारीख", अधिकतम कीमत के पहले पुनरीक्षण की तारीख मई, 2012 होगी और दूसरे या पश्चातवर्ती पुनरीक्षण के लिए, अधिकतम कीमत के पुनरीक्षण की पूर्व तारीख होगी।

(ग) और (घ): औषध विभाग ने 30 मई, 2013 के आदेश सा.आ. 1394 (अ) के माध्यम से यह व्यवस्था की कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में डीपीसीओ में प्रदत्त केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

*****